



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1/पुनर्स्थापन/टीकमगढ़/रिब्यू/2017/3918

प्र.क. 1/2017 विविध आवेदन (MISC- Application)

मा.प्र. वारा कर्मि
16.10.17

भगवान दास पुत्र श्री प्यारे लाल यादव,
निवासी - ग्राम नन्दनपुरा (मडखेरा) तहसील
मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

..... आवेदक

वसु
16.10.17
पेशी दिनांक 6-11-17
वसु
मा.प्र.
6/11/17

बनाम

1. रामकिशन पुत्र श्री जसरथ यादव
2. दयाराम पुत्र श्री जसरथ यादव,
निवासीगण - ग्राम नन्दनपुरा(मडखेरा)
तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

पुनर्स्थापन आवेदन (Restoration- Application) अन्तर्गत धारा 35(3)
भू-राजस्व संहिता सन् 1959 एवं सहपठित आदेश 9 नियम 9 तथा धारा
151सी.पी.सी विरुद्ध आदेश दिनांक 03.10.2017 पारित द्वारा सदस्य राजस्व
मण्डल ग्वालियर प्रकरण क. 633-1/17 रिब्यू (भगवान दास) बनाम रामकिशन
व अन्य

माननीय न्यायालय,

आवेदक का निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय में निगरानी क.
3789-3/2013 रामकिशन दायाराम बनाम भगवानदास के प्र.क. में
दिनांक 19.09.2016 आवेदक की अनुपस्थिति में सुनवायी करने के
उपरान्त जो आदेश पारित किया गया था, उसके विरुद्ध पुनर्विलोकन
आवेदन नियम अवधि में अभिभाषक श्रीमती सीमा श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत
किया गया था।

2. यहकि, प्रकरण में प्रस्तुतकार द्वारा बिना हस्ताक्षर किये तथा बिना
न्यायालय के आदेश लिये दिनांक 20.03.2017 को प्रार्थी के अभिभाषक


XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - १७/पुनर्स्थापन/टीकमगढ़/भ्रंश/२०१७/३९१८

जिला - टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/03/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भट्टेले उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रकरण क्र. रिव्यू 633-एक/17 पुनर्स्थापित करते हुए उक्त प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	